



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।



e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9491657014

पत्रांक : 01/यो0ब0-02/2025- 423

दिनांक : 13.07.2026

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्सांस तथा वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल ₹0 488.23 लाख (चार करोड़ अठासी लाख तेईस हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-32/2020-19/स्वी0 व0प0 दिनांक 16.10.2025 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-32/2020-25OA व0प0 दिनांक 17.06.2026।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल ₹0 488.23 लाख (चार करोड़ अठासी लाख तेईस हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110158010103	420.45
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110158010323	67.78
कुल :-		488.23

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 एवं 2 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-3 एवं 4 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-5 पर द्रष्टव्य है।

(Signature)

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110158010103 एवं 19S24060110158010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक होंगे,
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।
9. योजना के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को प्रत्येक तीन माह पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवगत करायेंगे।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
11. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।
12. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।
14. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।
15. गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाए। यह राशि कोषागार में जमा की जाए। कंउम सामग्री का निष्पादन विविधत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाए। स्टॉक पंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।
16. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था की जायेगी :-
 - (i) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।
 - (ii) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।
 - (iii) विभागीय स्थापित Monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार Monitor भारत सरकार के पैट्रन पर योजना Monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
17. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाए।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय JOHAR पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाए

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(x) कंडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

18. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा।

(i) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

21. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक

16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

22. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेगे।

24. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

[Signature]
13/7

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-02/2025- 423 दिनांक- 13.07. 2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ हजारीबाग/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/ पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय-वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

[Signature]
13/7

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-02/2025- 423 दिनांक- 13.07. 2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ कोडरमा/ देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

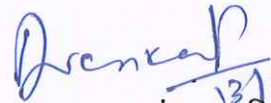
[Signature]
13/7

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य क्षेत्र उपयोजना) के अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			17316.00	2763.00	20079.00
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	100	17.32	2.76	20.08
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	100	17.32	2.76	20.08
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100	17.32	2.76	20.08
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	17.32	2.76	20.08
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	305	52.81	8.43	61.24
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	100	17.32	2.76	20.08
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	17.32	2.76	20.08
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	450	77.92	12.43	90.35
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, कोडरमा	100	17.32	2.76	20.08
योग :-		1455	251.97	40.18	292.15

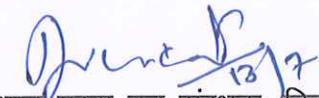

 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			28080.00	4603.16	32683.16
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	28.08	4.60	32.68
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	50	14.04	2.30	16.34
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	50	14.04	2.30	16.34
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	50	14.04	2.30	16.34
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, देवघर	100	28.08	4.60	32.68
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	150	42.12	6.90	49.02
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, कोडरमा	50	14.04	2.30	16.34
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सा०वा० प्रमण्डल, हजारीबाग	50	14.04	2.30	16.34
योग :-		600	168.48	27.60	196.08
सकल योग :-		2055	420.45	67.78	488.23


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण

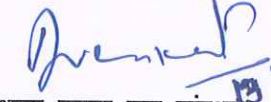
पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 468.00 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	13	6084.00	400.00	6484.00	
2	वृक्षारोपण	हे०	22	10296.00	0.00	10296.00	
3	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2	936.00	0.00	936.00	
4	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	2363.00	2363.00	
योग :-			37.00	17316.00	2763.00	20079.00	

- नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागू दैनिक मजदूरी दर पर अग्रिम एवं समापन कार्य योजना की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


 अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण

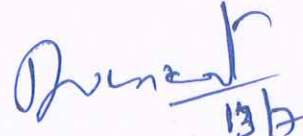
पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर : 468.00 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	21.50	10062.00	666.40	10728.40	
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	17082.00	0.00	17082.00	
3	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2.00	936.00	0.00	936.00	
4	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	3936.76	3936.76	
	योग—		60.00	28080.00	4603.16	32683.16	

- नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागू दैनिक मजदूरी दर पर अग्रिम एवं समापन कार्य योजना की कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्रम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

घातृ वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-02/2025/423

दिनांक - 13-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42224	GRDFOR001 MANISH KUMAR TIWARI DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	1,732,000.00 रुपये सत्रह लाख बत्तीस हजार 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42227	HZBFWL009 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	1,732,000.00 रुपये सत्रह लाख बत्तीस हजार 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42230	HZBFWL005 MAUN PRAKASH D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 03 - मजदूरी	1,732,000.00 रुपये सत्रह लाख बत्तीस हजार 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये इकावन लाख छयानवे हजार
क्रमिक योग:

5,196,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42234	CTRFOR003 MUKESH KUMAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	4,540,000.00 रुपये पैतालीस लाख चालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42237	PLMFOR070 SATYAM KUMAR D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदूरी	6,685,000.00 रुपये छह लाख पचयासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	42240	GRHFWL001 ANSHUMAN D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	3,136,000.00 रुपये इकतीस लाख छत्तीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड पिनचानवे लाख सत्तावन हजार

14,361,000.00

क्रमिक योग:

19,557,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDITIONAL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते Slate Scheme : NA Central Scheme : NA	42244	GRHFWL004 EBIN BENNY ABRAHAM D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	3,136,000.00 रुपये इकतीस लाख छत्तीस हजार
8	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते Slate Scheme : NA Central Scheme : NA	42247	GRHFWL003 CHATURANAND TRIPATHI DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	12,004,000.00 रुपये एक करोड बीस लाख चार हजार
9	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते Slate Scheme : NA Central Scheme : NA	42252	KDMFORA02 RAUSHAN KUMAR D.F.O (S.F.) KODERM 03 - मजदूरी	3,136,000.00 रुपये इकतीस लाख छत्तीस हजार

योग:

रुपये तीन करोड अठहत्तर लाख तैतीस हजार

18,276,000.00

क्रमिक योग:

37,833,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	42258	HZBFWL007 AJAY KUMAR D F O S F DIVISION HAZARIBAGH 03 - मजदूरी	1,404,000.00 रुपये चौदह लाख चार हजार
11	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	42266	DGRFORE87 ABHISHEK BHUSHAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	2,808,000.00 रुपये अठाइस लाख आठ हजार
12	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	42272	GRDFOR001 MANISH KUMAR TIWARI DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	276,000.00 रुपये दो लाख छहत्तर हजार

योग: रुपये चार करोड तेइस लाख इक्कीस हजार

क्रमिक योग:

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

4,488,000.00

42,321,000.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42274	HZBFWL009 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	276,000.00 रुपये दो लाख छहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42276	HZBFWL005 MAUN PRAKASH D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	276,000.00 रुपये दो लाख छहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42277	CTRFOR003 MUKESH KUMAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	736,000.00 रुपये सात लाख छत्तीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये चार करोड छत्तीस लाख नौ हजार

क्रमिक योग:

1,288,000.00

43,609,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADOL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42279	PLMFOR070 SATYAM KUMAR D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,073,000.00 रुपये दस लाख तीहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42280	GRHFWL001 ANSHUMAN D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	506,000.00 रुपये पाँच लाख छः हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42281	GRHFWL004 EBIN BENNY ABRAHAM D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	506,000.00 रुपये पाँच लाख छः हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये चार करोड छप्पन लाख चौरानवे हजार

क्रमिक योग:

2,085,000.00

45,694,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADL PCEE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42282	GRHFWL003 CHATURANAND TRIPATHI DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,933,000.00 रुपये उन्नीस लाख तैतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42283	KDMFORA02 RAUSHAN KUMAR D.F.O (S.F.) KODERM 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	506,000.00 रुपये पाँच लाख छः हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42284	HZBFWL007 AJAY KUMAR D F O S F DIVISION HAZARIBAGH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	230,000.00 रुपये दो लाख तीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये चार करोड तिरयासी लाख तीरसठ हजार

2,669,000.00

क्रमिक योग:

48,363,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADP PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	42285	DGRFORE87 ABHISHEK BHUSHAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	460,000.00 रुपये चार लाख साहठ हजार

State Scheme : NA

Central Scheme : NA

योग:

रुपये चार करोड अठ्यासी लाख तेइस हजार

460,000.00

क्रमिक योग:

48,823,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ABDI PCCE DEV JHARKHAND